

जिला कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास-शाजापुर  
हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल जवाहर नगर ए.बी. रोड, देवास

E-mail: dewas@mptownplan.gov.in दूरभाष-07272-254484

क्रमांक 2812 / 29 / 20 / 2010 / नग्रानि / 18  
प्रति,

देवास, दिनांक 07.12.2018.

श्रीमती विमल पति श्री एकनाथ नारखेडे एवं  
श्री एकनाथ नारखेडे पिता श्री नामदेव नारखेडे  
निवासी 204 शालीमार जाम, इन्दौर (म.प्र.)

ग्राम जैतपुरा तहसील व जिला देवास के सर्वे 502/2/1, 502/2/2 एवं  
502/2/3 कुल रकबा 2.153 हेक्टर पर स्वीकृत स्थल मानचित्र दिनांक 21.12.2010  
में उपांतरण की स्वीकृति के संबंध में।

आपका संयुक्त आवेदन धारा - 29(3) दिनांक 03.10.2018।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित संयुक्त आवेदन, धारा-29 (3) में  
प्रस्तुत कर ग्राम जैतपुरा तहसील व जिला देवास के सर्वे 502/2/1, 502/2/2 एवं 502/2/3  
कुल रकबा 2.153 हेक्टर पर वेयर हाऊस उपयोग हेतु कार्यालय पत्र क्रं. 1529-1531/दिनांक  
21.12.2010 द्वारा स्वीकृत स्थल मानचित्र की भूमि में से अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रं. 502/2/3  
रकबा 1.742 हेक्टर को अलग कर नियोजित उपांतरण स्थल मानचित्र की स्वीकृति हेतु म.प्र. नगर  
तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-29 (3) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके  
साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न है :-

- 01 आवेदन फीस 10,000/- आनलाईन दिनांक 01.10.2018 द्वारा जमा,
- 02 पटवारी मानचित्र एवं खसरा-खतौनी,
- 03 पूर्व स्वीकृत स्थल मानचित्र पत्र क्रं. 1529/दिनांक 21.12.2010 की छाया प्रति
- 04 नगर पालिक निगम देवास द्वारा प्रदत्त निर्माण अनुज्ञा क्रमांक 3000/दि 03.04.12 की प्रति,
- 05 शपथ-पत्र दिनांक 28.09.2018,
- 06 नगर पालिक निगम देवास की अनापत्ति पत्र क्रमांक 5805/दिनांक 27.10.18 की प्रति,
- 07 वेयर हाऊस उपयोग हेतु नियोजित उपांतरण मानचित्र की 5 प्रतियाँ

विषयांकित भूमि का स्थल निरीक्षण आपकी उपस्थिती में कार्यालय के श्री आर.एस.  
सैनी, शोध सहायक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। स्थल पर पूर्व स्वीकृत स्थल मानचित्र अनुसार  
वी भाग पर वेयर हाऊस निर्मित है, शेष भूमि रिक्त है। भूमि को सर्वे क्रं. 502/2/1 एवं  
502/2/2 के भू-स्वामी श्रीमती सुलोचना पति श्री योगराज खर्चे एवं सुश्री हिना पिता पिता  
योगराज खर्चे निवासी 204, शालीमार जाम, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत सहमति दिनांक 18.10.2018 अनुसार  
भोपाल मुख्य मार्ग से 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के  
नियम-14 (3) (तीन) के निर्दिष्ट प्रावधान अनुसार उपांतरण हेतु प्रस्तुत स्थल मानचित्र के संबंध में  
दिनांक 11.10.2018 को दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों अग्निबाण एवं दैनिक सत्याकार में प्रकाशित  
सार्वजनिक सूचना, जिसे कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय देवास एवं नगर पालिक निगम  
देवास के कार्यालय के सूचना पटलों पर चस्पा करवाया जाकर प्रस्तुत स्थल मानचित्र में प्रस्तावित  
उपांतरण से संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को स्वयं की आपत्तियाँ/सुझाव चाहे गये थे। प्रकाशित  
उपांतरण सूचना दिनांक 11.10.18 से दिनांक 25.10.18 (15-दिवस) तक की अवधि में उपांतरण  
स्थल मानचित्र की योजना से संबंधित किसी हितबद्ध व्यक्ति से आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

कृपय.

//02//

उपरोक्त परिपेक्ष्य में देवास विकास योजना-2031 के प्रस्तावानुसार विषयावित्त भूमि का निर्दिष्ट भू-उपयोग उद्योग में वेयर हाउस स्वीकृत गतिविधि में प्रावधानित है। अतः म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-14 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तावित उपांतरण से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, माना जाकर आवेदित भूमि कुल रकबा 17420.00 वर्ग मीटर का संलग्न वेयर हाउस उपयोग हेतु नियोजित उपांतरित स्थल मानचित्र, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा म.प्र. भूमि विकास, नियम-2012 के नियम-2 (5) (क) एवं नियम-27 के अधिन अनुमोदित कर अनुज्ञा वर्णित शर्तों के साथ दी जाकर, म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय पत्र क्रमांक 1529-1531 दिनांक 21.12.2010 द्वारा स्वीकृत स्थल मानचित्र के स्थान पर संलग्न स्वीकृति उपांतरित स्थल मानचित्र मान्य किया जाता है।
2. श्रीमती सुलोचना पति श्री योगराज खर्चे एवं सुश्री हिना पिता योगराज खर्चे निवासी 204, शालीमार जाम, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत सहमति दिनांक 18.10.2018 अनुसार अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रं. 502/2/1 एवं 502/2/2 में से भोपाल मुख्य मार्ग से 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध होगा। उक्त मार्ग के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर यह अनुज्ञा स्वतः प्रभाव शून्य मानी जावेगी।
3. संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अंतर्गत चारों ओर सीमांत खुले क्षेत्र के रूप में रखना आवश्यक होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
4. आच्छादित क्षेत्र तथा वेयर हाउस की उचाई संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार मान्य होगी।
5. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार-भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आपको करना होगा।
6. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-84 परिशिष्ट-झ-1 एवं झ-2 के प्रावधानों अनुसार पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगा।
7. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81 (4) के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली स्थापित करना होगी।
8. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम-87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा, जिसका पालन आपको आवश्यक रूप से करते हुए नियम-88 अनुसार भुकम्परोधी तकनीकी से निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।
9. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-23(1) अनुसार उक्त अनुज्ञा 03 वर्ष तक विधिमान्य बनी रहेगी।
10. आपके द्वारा प्रस्तुत अक्ष/खसरा मानचित्र में किसी भी प्रकार की विसंगती होने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं की एवं आपके वास्तुविद की होगी।
11. उक्त अनुज्ञा की शर्तों के आधार पर संलग्न स्थल मानचित्र अनुसार निर्माण अनुज्ञा देवास विकास योजना-2031 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के निर्दिष्ट प्रावधानों अनुसार आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास से प्राप्त करना होगा।

कृपु.




// 03 //

उक्त अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज नहीं माना जावे और न ही यह हस्तांतरणीय होगी।

यह अनुज्ञा देवास विकास योजना-2031 एवं म.प्र.भूमि विकास नियम-2012 के निर्दिष्ट प्रावधानों एवं नियोजन की दृष्टि से दी गई है। अनुमोदित उपांतरित स्थल मानचित्र के विपरित किये गये विकास कार्य, गलत जानकारी कोई भी कथन असत्य पाये जाने या भूमि सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के तहत प्रतिसंहत (रिक्लोक) कर दी जावेगी।

संलग्न:

एक मानचित्र।

  
प्र.उपसंचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश, देवास  
देवास, दिनांक .....

पृ.क्र.

/29/20/2010/नग्रानि/18

प्रतिलिपि :-

01

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

02


आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न :-

एक मानचित्र

प्र.उपसंचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश, देवास

श्री राजदिवस को श्रद्धांजलि  
का स्मारक बंधी भवन का नक्शा



KHASRA PLAN  
SCALE: 1:4000

SCALE 1:1000



APPROVED  
As Per Conditions given in memo  
No. 28122... Dated: 27.12.2018  
Director,  
Town & Country Planning  
District Office, Dewas (M.P.)


श्री राजदिवस को श्रद्धांजलि  
का स्मारक बंधी भवन का नक्शा  
(स. नं.)

REVISED SITE PLAN FOR WARE HOUSE ON SPANER NO 40203 AT  
VALUOR: ATRIPAL BISHI, DEWAS, DISTRICT DEWAS (M.P.)

APPROVED TO  
MRS. VIMAL W/O MR. ANJAN WARRAHO  
MR. ANJAN W/O MR. WARRAHO

AREA STATEMENT	
TOTAL LAND AREA	17420.0 SQ.M
MAX PERMISSIBLE GR. COVERAGE	30%
MAX PERMISSIBLE F.A.R	1.0/75
MAX PERMISSIBLE HEIGHT	12.5 MT
MIN. MOS AS PER SITE PLAN	

**PARKING CALCULATIONS**  
PARKING STATEMENT AS PER M.P. R.V.M. 2012, RULE NO. 84  
PERMISSIBLE BHP AREA - 13085.0 SQ.MT  
NO OF CAR PARKING REQUIRED - 100 CARS  
@ 100 SQ.MT FOR COMMERCIAL USE  
@ 25 SQ.MT / CAR IN OPEN PARKING  
25% OF ADDITIONAL CAR PARKING TO BE PROVIDED AS PER R.V.M. 2012



OWNER  
श्री राजदिवस को श्रद्धांजलि  
का स्मारक बंधी भवन का नक्शा  
(स. नं.)

ARCHITECT  
K. K. Kulkarni  
K. K. Kulkarni Architects  
No. 104, Bhojpur, Dewas (M.P.)

B. ANJAN, C.O.A.  
C.A/2011/51649

REVISED SITE PLAN FOR WARE HOUSE ON SURVEY NO 502/2/3 AT VILLAGE JETPURA TEHSIL DEWAS , DISTRICT DEWAS ( M.P )


S

BELONGING TO :

MRS. VIMAL W/O MR. AIKNATH NARKHADI  
MR. AIKNATH S/O MR. NAMDEV NARKHADI

AREA STATEMENT	
TOTAL LAND AREA	17420.0 SQM
MAX. PERMISSIBEL GR. COVERAGE	30%
MAX. PERMISSIBLE F.A.R	1:0.75
MAX. PERMISSIBLE HEIGHT	12.5 MT
MIN . MOS AS PER SITE PLAN	

PARKING CALCULATIONS	
PARKING STATEMENT AS PER M.P.B.V.N 2012- RULE NO. 84	
PERMISSIBLE B/UP AREA	- 13065.0 SQ MT
NO. OF CAR PARKING REQUIRED	- 130 CARS
@1 ECS/100 SQ MT FOR COMMERCIAL USE	
@25 SQ MT / CAR IN OPEN PARKING	
25 % OF ADDITIONAL CAR PARKING TO REQ. AE PER MPBVM 2012	



0.4

OWNER

ARCHITECT  
  
**Radius Architects**  
 Radius Architects  
 AR. RAHIL KHAN, MOB. -91-8678648287

**B. Arch. C.O.A.**  
**CA/2011/51649**